

कार्यालय झांसी विकास प्राधिकरण, झांसी

पत्रांक 925 / जे.डी.ए.-तलपट मानचित्र - (2021-2022)

दिनांक 30.03.2022

मै0 पीताम्बरा इन्फ्राटेक एल.एल.पी.

द्वारा डायरेक्टर श्री अमन मदान पुत्र श्री अववार सिंह

निवासी-452/2, ए. सी0पी0मिशन कम्पाण्ड, झांसी।

आपके द्वारा प्रस्तावित स्थल मौजा-सिमरघा झांसी के आराजी नम्बर 370, 265, 266, 368, 367, 364, एवं 363 पर वाद पत्रावली संख्या-129/उपाध्यक्ष/जे.डी.ए./2021-22 का शमन तलपट मानचित्र स्वीकृत हेतु प्रस्तुत किया है, को निम्नलिखित शर्तों के साथ अनुमति प्रदान की जाती है। उपरोक्त स्वीकृति उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत प्रदान की जाती है।

1. यह मानचित्र अनुमति दिनांक से केवल पांच वर्ष तक वैध है।
2. मानचित्र की स्वीकृति से किसी भी शासकीय विभाग, स्थानीय निकाय अथवा किसी व्यक्ति के स्वत्व एवं स्वामित्व पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा।
3. उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम की धारा 35 के अंतर्गत यदि भविष्य सुधार कार्य हेतु कोई सुधार व्यय मांगा जायेगा तो बिना किसी आपत्ति के देय होगा एवं किसी भी प्रकार के बड़े हुये शुल्क की मांग प्राधिकरण द्वारा की जाती है तो उसे जमा कराना होगा अन्यथा तलपट मानचित्र निरस्त माना जायेगा।
4. जिस प्रयोजन के लिये निर्माण की अनुमति दी जा रही है भवन उसी प्रयोग में लाया जाएगा। विपरीत प्रयोग उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा 26 के अधीन दण्डनीय है।
5. उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम की धारा 35 के अंतर्गत यदि भविष्य सुधार कार्य हेतु कोई सुधार व्यय मांगा जायेगा तो बिना किसी आपत्ति के देय होगा।
6. जो क्षेत्र भूमि विकास कार्य में उपर्युक्त नहीं होगा वहाँ प्राधिकरण अथवा किसी स्थानीय निकाय की विकास कार्य करने की जिम्मेदारी नहीं होगी। रेरा में रजिस्ट्रेशन कराना भी अनिवार्य होगा।
7. स्वीकृत मानचित्र का सैट निर्माण स्थल पर रखना होगा ताकि मौके पर कभी भी जांच की जा सके तथा निर्माण कार्य स्वीकृति के अनुसार कराया जायेगा।
8. आप भवन उप-नियमों के नियम 21 के अंतर्गत निर्धारित प्रपत्र पर कार्य करने की सूचना देंगे।
9. निर्माण की अवधि में स्वीकृत मानचित्र के विरुद्ध यदि कोई परिवर्तन आवश्यक है तो उसकी पूर्व अनुमति प्राप्त करने के बाद ही परिवर्तन किया जायेगा।
10. निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने पर एक माह की अवधि के भीतर भवन उप नियमों में निर्धारित प्रपत्र पर निर्माण पूरा होने का प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे।
11. प्रस्तुत विभिन्न सरकारी विभागों की अनापत्ति प्रमाण पत्र जैसे-जल संस्थान, नगर निगम, विधुत, पर्यावरण एवं तहसील द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्रों में उल्लिखित सभी शर्तों का पालन सुनिश्चित करना होगा। रेन वाटर हार्सेविटिंग उचित क्षमता का प्रमाणित कर लगाना होगा। पालन न करने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
12. प्राधिकरण से स्वीकृत मानचित्र के अनुसार सम्पूर्ण विकास हो जाने के उपरान्त पूर्णतः प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।
13. पर्यावरण एवं विधुत वितरण खण्ड, दक्षिणांचल विधुत वितरण निगम का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।
13. मानचित्र की स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की गयी है :-
 - संबंधित विभागों द्वारा प्रदान की गयी अनापत्ति प्रमाण पत्र में लिखित शर्तों को पूर्ण करने का उत्तरदायित्व विकासकर्ता का होगा।
 - समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये गये आदेशों तथा निर्धारित की गयी नीतियों का पालन करने का उत्तरदायित्व विकासकर्ता का होगा।
14. उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन करने पर कोई तथ्य छुपाकर मानचित्र स्वीकृत करने पर निरस्त करने का अधिकार प्राधिकरण सुरक्षित रखता है।
15. विभिन्न शुल्कों के मद में बन्धक रखे तल क्षेत्रफल के सम्बन्ध में झांसी विकास प्राधिकरण व विकासकर्ता के मध्य हुये एग्रीमेन्ट का पालन सुनिश्चित करना होगा।
16. विकासकर्ता द्वारा प्राधिकरण में प्रस्तुत अभिलेख असत्य या झूठे पाये जाने पर मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा एवं समस्त जिम्मेदारी विकासकर्ता की होगी।
17. भूखण्ड से संलग्न सरकारी सम्पत्ति यथा चकरोड, नाली व अन्य प्रकार की सम्पत्ति पर बिना सम्बन्धित विभाग की अनापत्ति के किसी भी प्रकार का विकास कार्य नहीं किया जायेगा।
18. मानचित्र की स्वीकृति अनुबंध में उल्लिखित शर्तों के अधीन है।
19. झांसी विकास प्राधिकरण व विकासकर्ता के मध्य हुये एग्रीमेन्ट में दी गयी शर्तों का पालन सुनिश्चित करना होगा।
20. भविष्य में रेरा द्वारा दी गयी आपत्तियों का निस्तारण विकासकर्ता को स्वयं करना होगा अन्यथा की स्थिति में मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।

21. शासनादेश संख्या-63/2021/1093/आठ-1-21-34 बैठक/2014 टीसी दिनांक 23 सितम्बर 2021 के अनुसार योजना हेतु निर्धारित नियमों, मानकों एवं शर्तों का पालन करना होगा।

इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन उ.प्र. नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम की धारा 26 के अधीन दण्डनीय अपराध होगा।

संलग्नक :- स्वीकृत मानचित्र की प्रति।

प्रतिलिपि :- अवर अभियंताको प्रेषित।

झांसी विकास प्राधिकरण, झांसी

